भू सम्पदा(विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 [रेरा]
कार्यान्वयन प्रगति रिपोर्ट (16-06-2025 तक)

क्र. सं.		राज्य	शहरी जनसंख्या (लाख में)	परियोजनाओं और एजेंटों का पंजीकरण					
				परियोजनाओं की कुल संख्या	आवासीय परियोजनाओं का विवरण			एजेंट संख्या	शिकायतें
					परियोजनाओं की संख्या	आवासीय इकाइयों की संख्या	कार्पेट क्षेत्रफल (लाख वर्ग फुट)		निपटाए गए मामले
1	राज्य	**आंध्र प्रदेश**	146	5,633	4,215	98,393	178.91	237	394
2		**बिहार**	118	1,845				632	3,941
3		**छत्तीसगढ**	59	1,979				874	2,726
4		**गोवा**	9	1,415	1,318	39,574	233.16	640	394
5		**गुजरात**	257	15,533	7,068	6,09,770	5,721.34	2,326	7,196
6		**हरियाणा**	88	1,754				7,016	22,894
7		**झारखंड**	79	1,607				18	362
8		**कर्नाटक**	236	7,748	4,199	8,16,612	6,530.82	5,816	8,533
9		**केरल**	159	1,457				765	1,629
10		**मध्य प्रदेश**	200	5,630				1,580	5,742
11		**महाराष्ट्र**	508	50,154				50,260	22,064
12		**ओडिशा**	70	1,346				270	4,343
13		**पंजाब**	104	1,595				3,472	3,419
14		**राजस्थान**	170	3,662				11,891	4,427
15		**तमिलनाडु**	349	28,799				2,282	3,557
16		**तेलंगाना**	136	9,702				4,273	1,278
17		**उत्तर प्रदेश**	445	3,911	3,337	16,76,839	15,689.48	6,715	50,079
18		**पश्चिम बंगाल**	291	167				118	51
उप-योग (राज्य) :-			**3,427**	**1,43,937**				**99,185**	**1,43,029**
19	पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य	**अरुणाचल प्रदेश**	3.17	-				-	-
20		**असम**	43.99	1,058				80	222
21		**मणिपुर**	8.34	-				-	-
22		**मेघालय**	5.95	-				-	-
23		**मिजोरम**	5.72	-				-	-
24		**नागालैंड**	5.71	-				-	-
25		**सिक्किम**	1.54	-				-	-
26		**त्रिपुरा**	9.61	178				6	-
27		**हिमाचल प्रदेश**	6.89	233				140	134
28		**उत्तराखंड**	30.49	566				449	927
उप-योग (पूर्वोत्तर राज्य) :-			**121.41**	**2,035**				**675**	**1,283**
29	संघ राज्य क्षेत्र	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	1.43	3				28	-
30		**चंडीगढ़**	10.26	4				18	31
31		**दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव**	3.43	238				4	907
32		**दिल्ली**	163.69	113				889	979
33		**जम्मू और कश्मीर**	33.71	-				-	-
34		**लद्दाख**	0.62	-				-	-
35		**पुदुचेरी**	8.53	222				4	4
36		**लक्षद्वीप**	0.50	-				-	-
उप-योग (संघ राज यक्षेत्र):-			**222.17**	**580**				**943**	**1,921**
कुल			**3,770.82**	**1,46,552**				**1,00,803**	**1,46,233**

टिप्पणी:-

1. सामान्य नियम: **35** राज्यों/संघ राज यक्षेत्रोंने रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है, **नागालैंड** शेष है.
2. विनियामक प्राधिकरण: नियमित-**27**, अंतरिम-**06** (**पुदुचेरी, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश**), 3 स्थापित नहीं (**मेघालय, सिक्किम और नागालैंड**).
3. अपील अधिकरण: नियमित-**27**, अंतरिम-**02** (**मणिपुर और त्रिपुरा**); 4 स्थापित नहीं (**अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख मिजोरम और मेघालय, सिक्किम, नागालैंड**).
4. वेब पोर्टल: स्थापित-**30**, स्थापित नहीं-**6** (**अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, लद्दाख, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड**).
5. निर्णायक अधिकारी: नियुक्त-**27**, नियुक्त नहीं-**9** (**बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख**).